न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

प्रकरण :– राजस्व वाद संख्या 77/2018

1. पवन कुमार पुत्र श्री राममूर्ति निवासी 182 होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर
2. अजय धुन्ना पुत्र श्रीपवन कुमार निवासी 182 होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. विमल गर्ग पुत्र श्री बिलावरचन्द गर्ग जाति अग्रवाल निवासी 4 एफ 35 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

—:: निर्णय ::—

दिनांक :– 01.05.2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पास वाके चक 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 18/11, 12 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 21/2(0.126), 22(0.127), 23/2(0.063) कुल 0.316 हैक्टर बारानी, मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1(0.253), 2(0.253), 3(0.177), 8(0.038), 9(0.240), 10(0.253), 11/1(0.051) कुल 1.265 हैक्टर दोनो मुरबों में कुल 1.581 हैक्टर बारानी भूमि में से 0.7906 हैक्टर रकबा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास चक 17 एम एल के खाता संख्या 97/71 के मुरबा नं. 24 के किला नं. 5/4 में 0.090 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपने रकबा के मुरबा नम्बर 8 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, मुरबा नं. 25 के किला नं. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11/1 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के मुरबा नंबर 24 के किला नं. 5/4 में 0.023 हैक्टर (यानी 30गुणा 83 फुट)रास्ता का प्रयोग करते आ रहे है। प्रार्थीयान के खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 24 के किला नं. 5/4 के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए किला नं. 5/4 में 0.023 हैक्टर (यानि 30 गुणा 83 फुट) रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थीगण मुआवजा राशि देने के लिए तैयार है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के सुविधाजनक है। प्रार्थीगण ने किला नं. 5/4 में रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया था कि जिससे अप्रार्थी इंकार हो गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 97/71 के मुरबा नम्बर 24 के किला नम्बर 5/4 में 0.090 हैक्टर की खातेदारी भूमि में से 0.023 हैक्टर यानि 30गुणा 83 फुट गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जावे।

दिनांक 30.04.2018 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी राजस्व लोक अदालत अभियान 2018, [illegible] 13 जैड में उपस्थित आकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया, जो [illegible] किया गया।

[illegible]स्टेट से रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी को अन्य खातेदार की भूमि में [illegible] जाता है तो इसके बदले में प्रार्थी मुआवजा के रूप में नगद राशि देगा।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

नम्बर मुकदमा 77/2018
पवन कुमार व अन्य बनाम विमल गर्ग

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर चक 17 एम —- तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 97/71 के मुरबा नम्बर 24 के किला —-र 5/4 में 0.090 हैक्टर कृषि भूमि के मध्य में से 0.023 हैक्टर यानि (30X83 फीट) —नुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार —स्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर —।

यह आदेश आज दिनांक **01.05.2018** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया —या।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर